

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] No. 36] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 17, 2000/पौष 27, 1921

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 17, 2000/PAUSA 27, 1921

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग)

(पुस्तक प्रोन्नित तथा कॉपीराइट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2000

का. आ. 50(अ). — कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का 49) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 15 जनवरी, 2000 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिससे यह अधिनियम लागू होगा।

[सं. एफ. 12-3/98-आईसी]

डा. एस. डी. आवले, संयुक्त शिक्षा सलाहकार (तक.)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Secondary Education and Higher Education)

(Book Promotion and Copyright Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2000

S. O. 50(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Copyright (Amendment) Act, 1999 (49 of 1999), the Central Government hereby appoints the 15th day of January, 2000 as the date on which the said Act shall come into force

[No. F 12-3/98-IC]

DR S. D. AWALE, Jt Educational Adviser (T)

167 GI 2000

	•		